INDIA NON JUDICIAL

IN-UP64447860787448Y

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

e-Stamp

IV 57/2026

Certificate No.	:	**IN-UP64447860787448Y**
Certificate Issued Date	:	19-Mar-2026 02:55 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up15127704/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1512770424211377785653Y
Purchased by	:	SHREE KASHI SEWA SANSTHANAM
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHREE KASHI SEWA SANSTHANAM
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHREE KASHI SEWA SANSTHANAM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

Signature:-............

ACC Name:-Rupesh Kumar Gupta
ACC Code:-UP 15127704
ACC Add:-C.K. 65/297 Piyari Kala Ansh, Varanasi
Mobile No.-9919086506
Licence No.-975
Tehsil-Sadar, Distt.-Varanasi

LOCKED

S.R. IV
VNS.
19/3/2026

Please write or type below this line

PF 0026097874

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

202600996011242

--ट्रस्ट की उद्‌घोषणा--

विदित हो कि यह ट्रस्ट राजेश सेठ की अध्यक्षता में गठित किया जाता है जो बुजूर्ग सेवा व आश्रय, सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु,आध्यात्मिक व धार्मिक आयोजन, गौ सेवा, गरिबों हेतु अन्न-वस्त्र व भोजन वितरण, बेटी पढ़ाओं व बेटीयों को आत्म निर्भर बनाने के दिशा में कार्य, गरिबों का निःशुल्क उपचार, आर्गेनिक खेती, पर्यावरण बचाओं अभियान, प्रदुषण मुक्त गंगा व अन्य नदिया अभियान, गरिब कन्या विवाह,योग क्रिया को बढ़ावा देने का कार्य करता रहता है। जिसके मुख्य कर्ताधर्ता राजेश सेठ ही रहे है। संस्थापक अध्यक्ष महोदय एवं निम्नलिखित लोगो ने बतौर ट्रस्टी ट्रस्ट बोर्ड का गठन करते हुए उसके उद्देश्यों, विधान व नियमों को स्वीकार करते हुए ट्रस्टी विलेख पर गठन कर हस्ताक्षर किया है।

--ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों के पद व नामः-

पद	नाम	उम्र	पता
1- अध्यक्ष/मुख्य न्यासी	**राजेश सेठ** पुत्र स्व० किशुन लाल सेठ	46 वर्ष	जे.6/57 जैतपुरा बरवातले वाराणसी। मो०नं०- 9305601855 आधार संख्या- 4086 6412 1356
2- सचिव	संतोष कुमार रावत पुत्र बालचन्द्र	50 वर्ष	शक्तिपर बच्छांव वाराणसी। मो०नं०-9653001634
3- कोषाध्यक्ष	किशोर कुमार सेठ पुत्र स्व० किशुन लाल सेठ	54 वर्ष	के.54/18 दारानगर वाराणसी। मो०नं०- 9335339020
4- प्रचार-प्रसार मंत्री	मनीष चौरसिया पुत्र जगन्ननाथ चौरसिया	44 वर्ष	के.54/11 दारानगर वाराणसी। मो०नं०-8429549048
5- विधिक सलाहकार (सह-सचिव)	समशेर अली पुत्र लाल मुहम्मद	37 वर्ष	धन्नीपुर पोस्ट व थाना लोहता वाराणसी। मो०नं०- 9793197121

आवेदन सं०: 202600996011242

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 57	वर्ष: 2026

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री राजेश सेठ ,
पुत्र श्री स्व० किशुन लाल सेठ
व्यवसाय : अन्य
निवासी: जे.6/57 जैतपुरा बरवातले वाराणसी।

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 19/03/2026 एवं 04:00:15 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमरेश कुमार ।प्रभारी।
उप निबंधक :सदर चतुर्थ
वाराणसी
19/03/2026

निबंधक लिपिक
19/03/2026

ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश सेठ ने कुल 5,000/-रू0 (पांच हजार रु०) नगद ट्रस्ट के गठन हेतु एवं उनके उद्देश्यों हेतु ट्रस्ट को दान दिया है जो इस ट्रस्ट की प्रारंम्भिक पूंजी है तथा इसके अलावा वर्तमान में ट्रस्ट के पास कोई भी चल या अचल सम्पत्ति नही है, ट्रस्ट बोर्ड सर्वसम्मति से निम्नलिखित तौर पर ट्रस्ट का नाम, रजिस्टर्ड कार्यालय, कार्य क्षेत्र तथा अन्य उद्देश्य एवं ट्रस्ट के संविधान तथा ट्रस्टी बोर्ड के कर्तव्य सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए उद्धघोषणा करता है कि :-

1. **ट्रस्ट का नाम- श्री काशी सेवा संस्थानम् (SHREE KASHI SEWA SANSTHANAM)**

2. **ट्रस्ट का रजिस्टर्ड कार्यालय- जे.6/57 मोहल्ला जैतपुरा बरवातरे वार्ड जैतपुरा तहसील सदर जिला वाराणसी पिन -221001 होगा।** जरूरत होने पर अन्य स्थानों पर ट्रस्टी सदस्यों के प्रस्ताव पर ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सहमति से कार्यालय खोले जायेंगे पर उसका नियंत्रण व संचालन मुख्य कार्यालय से ही होगा। ट्रस्टी बोर्ड को अधिकार होगा कि वह मुख्य कार्यालय को छोड़कर किसी भी सहायक अन्य कार्यालय को ट्रस्ट के अध्यक्ष के लिखित राय से बन्द कर स्थगित कर देगा।

3.आवश्यकता होने पर ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय के पता को परिवर्तित भी किया जा सकता है।

राजेश सेठ

आवेदन सं०: 202600996011242

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 57 | वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री राजेश सेठ, |RAJESH SETH

पुत्र श्री स्व० किशुन लाल सेठ

निवासी: जे.6/57 जैतपुरा बरवातले वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मनीष कुमार मिश्रा, पुत्र श्री स्व० अनिल कुमार मिश्रा

निवासी: एस.8/265 सी, सुधाकर रोड, खजुरी, पाण्डेयपुर, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री अमित सेठ, पुत्र श्री राजेश सेठ

निवासी: जे. 6/57, बरवा तले, पोस्ट ऑफिस, जैतपुरा, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अमरेश कुमार ।प्रभारी।
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
वाराणसी
19/03/2026

निबंधक लिपिक वाराणसी
19/03/2026

4.ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

---ट्रस्ट का उद्देश्य--

1. निराश्रित बुजुर्गों हेतु आश्रय, सेवा, उपचार, व जरुरत होने पर अंतिम संस्कार।
2. गरीब कन्या विवाह व सामूहिक विवाह।
3. सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न धार्मिक व आध्यात्मिक आयोजना।
4. पर्यावरण प्रदुषण मुक्त अभियान, कार्य व प्रचार प्रसार।
5. गरीबों व निर्धन हेतु अन्न, वस्त्र, भोजन वितरण।
6. निराश्रितों, गरीबों व जरूरतमंदों के उपचार में मदद करना।
7. ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में उचित कार्य।
8. गंगा व अन्य नदियों हेतु प्रदुषण मुक्त अभियान व कार्य।
9. योग क्रिया का प्रचार-प्रसार व आयोजन ।
10. नशा (मादक पदार्थ) उन्मूलन हेतु सार्थक कार्य व प्रयास (अन्य उद्देश्य अंतरित होगा)।
11. नारी उत्थान हेतु विशेष प्रयास व कार्य, उनके लिए विद्यालय अस्पताल एवं निराश्रित महिला आश्रम की स्थापना करना था जनसुविधाओं हेतु उन्हें इस योग्य बनाना कि वे स्वावलम्बी बनकर समाज में योगदान दे सकें।
12. महिलाओं के विकास के लिए सिलाई, कढ़ाई, पेन्टिंग, ब्यूटी पार्लर, काष्ठ कला आदि की शिक्षण एवं हस्तशिल्प के शिक्षण / प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यववस्था करना।

13. पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वच्छता अभियान चलाना एवं वृक्षारोपण का आयोजन करना तथा जनसुविधाओं का निर्माण करना व कराना।
14. ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समाज, स्थानीय शासन, प्रशासन एवं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से दान, चन्दा कर्ज लेना।
15. गौ पालन हेतु गौशाला, उनके अस्पताल की व्यवस्था करना, उनके संवर्धन व विकास हेतु प्रयास करना।
16. ट्रस्ट के कार्यों की पूर्णतया एंव आवश्यक जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक साहित्य का प्रकाशन करना।
17. ट्रस्ट के विकास हेतु चल एवं अचल सम्पत्ति बैनामा द्वारा, दान द्वारा, या पट्टा पर प्राप्त करना।
18. विभिन्न सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना एवं क्रियान्वयन में योगदान देना।
19. बालक-बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना ।
20. बालक-बालिकाओं के लिए कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, औद्योगिक, प्रोद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की जानकारी प्रदान कराना एवं स्वयं रोजगारपूरक बनाने का प्रयास करना ।
21. समाज कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, सिफ्सा, कपाट, नाबार्ड, जिला ग्राम्य विकास, नेडा,डूडा, सूडा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का भागीदारी करना।
22. विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्रों की निःशुल्क स्थापना करना।

23. पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक,अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के अनुसार उनकी सहायता करना एवं उन्हे निःशुल्क मार्गदर्शन देना।
24. गरीब, असहाय आदिवासी, बनवासी क्षेत्रों के बच्चों के शिक्षा देना व सदाचार एवं अध्यात्मक विकास हेतु सुव्यवस्थित, पुस्तकालय, वाचनालय तथा क्रीड़ास्थल की निःशुल्क व्यवस्था करना।
25. चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भयंकर बिमारियों जैसे कैंसर, तपेदिक, मलेरिया, मोतियाबिन्द,एड्स, पल्स पोलियों टीकाकरण तथा हेपेटाइटिस जैसे भयंकर बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना ।
26. बालश्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके बालकों को शिक्षित करना तथा उन्हे स्वयं रोजगार हेतु प्रेरित करना।
27. दैवीय आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना व बचाव करना/ कराना।
28. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नशा तथा दहेज प्रथा, धुम्रपान, जुआ तथा नशीली दवाओं का प्रयोग आदि के साथ-साथ समाज में फैले अन्ध विश्वास, छुआ-छूत आदि रीति-रीवाज को दूर करना ।
29. स्वयं सहायता समूह का गठन करना तथा असहाय निर्धन महिला,श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्य करना।
30. संस्था/ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु किसी भी अन्य अधिकृत NGO से मदद लेना.

राजेश्वर

----ट्रस्ट के पदाधिकारियों का गठन/ निष्कासन व शर्ते ---

1. संस्था/ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष आजीवन तब तक रहेगा जब तक की वह स्वयं या तो किसी को आजीवन अध्यक्ष ना नियुक्त करें या उसका निधन ना हो जाए।
2. अध्यक्ष की अचानक मृत्यु होने की दशा में ट्रस्ट/संस्था का अगला आजीवन अध्यक्ष तत्कालीन सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा मृत्यु प्राप्त मुख्य अध्यक्ष की धर्मपत्नी अथवा मृत अध्यक्ष के आश्रितों में से किसी योग्य व उचित परिजनों में से किया जायेगा।
3. संस्था के सचिव व कोषाध्यक्ष का चयन अथवा निष्कासन करने का अधिकार मुख्य अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
4. संस्था के सचिव व कोषाध्यक्ष के अलावा अन्य ट्रस्टी सदस्यों के चयन अथवा निष्कासन का कार्य ट्रस्ट/संस्था के मुख्य अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष संयुक्त रुप से भी कर सकेंगे।
5. संस्था अपने उद्देश्यों को विस्तार रूप देने के लिए विभिन्न राज्यों, शहरों, गाँवों कस्बों व इलाकों में अपनी इकाई खोल सकेगा, उक्त इकाईयों के पदाधिकारियों का चयन मुख्य अध्यक्ष व सचिव के द्वारा ही किया जायेगा।
6. संस्था के किसी भी पदाधिकारी अथवा सदस्य अथवा संस्था के अन्य इकाईयों के किसी भी पदाधिकारी व सदस्य द्वारा असमाजिक कार्य, गैर कानूनी कार्य, किए जाने की जिम्मेदारी स्वतः उसी की होगी, इस तरह के किसी भी गतिविधी में लिप्त पाये जाने पर संस्था के मुख्य अध्यक्ष/सह-सचिव को उक्त आरोपित पदाधिकारी या सदस्य को

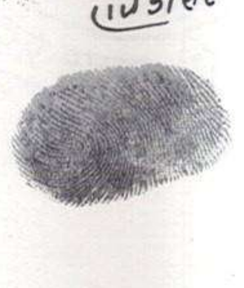

तत्काल प्रभाव से संस्था से निष्कासित कर सकेंगे व उसके रिक्त पद पर किसी अन्य की नियुक्ती कर सकेगे।

7. जरुरत होने पर संस्था के मुख्य अध्यक्ष द्वारा संस्था के कार्यों हेतु अस्थाई रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी जिन्हे उचित अस्थायी परिश्रमिक भी संस्था द्वारा अध्यक्ष के सहमति से दिया जाना निर्धारित किया जाएगा।

---संस्था के अधिकार---

1. संस्था अपने उद्देश्य के लिए देश, प्रेदश, शहर, गाँव, ब्लाक स्तर कार्य करेगी।
2. ट्रस्ट अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्थानिय शासन, प्रशासन, राज्य सरकार, व्यक्ति विशेष, व्यवसायिक केंद्रों, बैंको व अन्य श्रोतो से चन्दा, दान अथवा कर्ज ले सकता है।
3. धार्मिक, आध्यात्मिक व समाजिक कार्यों हेतु शासन/प्रसाशन, व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, व्यवासिक केन्द्रो से मदद ले सकते है।
4. संस्था अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, व्यवसायिक केन्द्रों, सामूहिक केन्द्रों से भूमि दान ले सकता है।
5. संस्था/ट्रस्ट अपने विभिन्न उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की धन, चल-अचल सम्पत्ति का क्रय कर सकता है अथवा जरुरत अनुसार उचित किराये या लिज पर निर्धारित समय तक ले सकता है जिसका निर्धारण मुख्य अध्यक्ष ही करेंगे। इसका भूगतान ट्रस्ट द्वारा ही किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट के चल-अचल सम्पत्ति बेचने का अधिकार ट्रस्ट के मुख्य अध्यक्ष के पास ही रहेगा, पर मुख्य अध्यक्ष को इस

बात की जिम्मेदारी रहेगी की यदि विक्रय की गई वस्तुओं से यदि कोई सेवा कार्य में रुकावट आती है तो उसकी पूर्ति अध्यक्ष द्वारा प्लानिंग कर की जाएगी जिसका लिखित ब्योरा अध्यक्ष को लेखा-जोखा में रखना होगा।

7. विशेष परिस्थियों में ट्रस्ट/ संस्था के भूमि अथवा भवन को बेचने का अधिकार सिर्फ ट्रस्ट/संस्था के मुख्य अध्यक्ष के पास ही सुरक्षित रहेगा, परन्तु ऐसी दशा में मुख्य अध्यक्ष को यह भी निश्चित करना होगा कि विक्रय की जाने वाली भूमि अथवा भवन के बराबर उतनी ही भूमि विक्रय किए जाने वाले जनपद के किसी अन्य क्षेत्र में ट्रस्ट/संस्था के नाम से क्रय करना होगा..
8. ट्रस्ट/संस्था के बैंक खाते के धन से संस्था हेतु भूमि क्रय संस्था के भूमि पर स्थाई व अस्थाई निर्माण कार्य भी हो सकेगा जिसका अधिकार मुख्य अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा।
9. संस्था/ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति हेतु मुख्य अध्यक्ष के सहमति से विभिन्न चल व अचल व ज़रूरी सामग्रीयां क्रय-विक्रय किया जा सकेगा..

--संस्था/ट्रस्ट के बैंक एकाउन्ट की व्यवस्था—

1. संस्था के दान में मिले रुपए का रख-रखाव बैंक द्वारा किया जाएगा यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक मे ही खोला जाएगा।
2. प्रतिवर्ष चार्टेड एक़ाउंट से ही संस्था के हिसाब-किताब की जाँच कारवाई जाएगी व उसकी रिपोर्ट मुख्य कार्यालय में सार्वजनिक नोटिस के रुप में चस्पा किया जाएगा।

3. बँक में एकाउंट मुख्य अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रुप से व सिर्फ मुख्य अध्यक्ष द्वारा भी किया जा सकता है।
4. संस्था/ट्रस्ट जरूरत पड़ने पर 'बाउचर पे' भी किया जा सकता है जिसका अधिकार मुख्य अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा व 'बाउचर पे' से सम्बन्धित कागजात सुरक्षित रखना होगा।
5. संस्था/ट्रस्ट के मुख्य अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि जरुरत पड़ने पर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह विभिन्न श्रोतो के जरिए बैंक एकाउंट के पैसे का लेन-देन कर सकता है जिसका लिखित विवरण अध्यक्ष को रखना होगा।

--पदाधिकारियों व सदस्यों का अधिकार---

1. सचिव- मुख्य अध्यक्ष के साथ शासनिक/प्रशासनिक कार्यो को देखना, पत्राचार करना, विधिक सलाहकार के साथ विमर्श करते हुए कानूनी कार्यो की जिम्मेदारी, संस्था का 'P.R.' कार्य।
2. कोषाध्यक्ष-ट्रस्ट के मुख्य अध्यक्ष के साथ मिलकर कोषाघर के रख रखाव की जिम्मेदारी, हिसाब-किताब का लिखित ब्योरा रखना, संस्था के हर कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करना व करवाना।
3. प्रचार-प्रसार मंत्री-संस्था/ट्रस्ट के हित में जन प्रचार, प्रसार करना संस्था के समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों और शुभचिन्तकों का ब्योरा रखना व सब से सम्पर्क में रहना, संस्था/ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारियों को कार्यक्रमों की सूचना देना, बैठकों व ट्रस्ट के भावी योजनाओं की सूचना व आमन्त्रण देना।
4. विधिक सलाह-संस्था/ट्रस्ट के कानूनी कार्यों का उचित देख-रेख करना व संस्था के पदाधिकारीयों सदस्यों अध्यक्ष- को विभिन्न नए

नियमों व कानूनी कार्यों से अवगत करवाना व कानूनी कार्यवाही करने में मुख्य अध्यक्ष व सचिव का सहयोग करना।

5. संस्था/ट्रस्ट के मुख्य आजीवन अध्यक्ष के पास समस्त निर्णय लेने का अंतरिम अधिकार, ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टी पदाधिकारियों सहित अन्य पदाधिकारियों, सदस्यों के निष्काशन/नियुक्ति का एकाधिकार रहेगा, आवश्यकता होने पर संस्था के सचिव, कोषाध्यक्ष व विधिक सलाहकार (सह-सचिव) के सहमति व सहयोग से संस्था/ट्रस्ट के तमाम विधान व नियमों में परिवर्तन करना।
6. समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों को संस्था द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों, बैठको में उपस्थित होना, संस्था द्वारा दिये गये जिम्मेदारियों को निर्वहन करना व संस्था के कार्यों में शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रुप से सहयोग करना अनिवार्य होगा।

--पदाधिकारियों के कार्यकाल --

ट्रस्ट/संस्था के मुख्य आजीवन मुख्य संस्थापक अध्यक्ष के आलावा समस्त ट्रस्टीय पदाधिकारीयों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, नए सचिव व कोषाध्यक्ष की नियुक्ति मुख्य अध्यक्ष द्वारा ही किया जायेगा जबकि ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों की नियुक्ति संस्था/ट्रस्ट में मुख्य अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से करेंगे।

विशेष--- किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही सिर्फ वाराणसी न्यायालय में ही मान्य होगी।

- निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 750/- रुपये जरिये ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या- IN-UP64447860787448Y दिनांक 19/03/2026 अदा किया जा रहा है।

उक्त ट्रस्ट डीड उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर तहरीर व तकमील किया जा रहा है जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केवल पक्षकारान पर होगी, किसी भी तरह का कोई वाद-विवाद उत्पन्न होने पर निबन्धन कार्यालय, मसविदाकर्ता व टाईपकर्ता की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

इस प्रकार ट्रस्टी ने ट्रस्ट डीड को बखूबी पढ़कर व सोच समझकर बिना किसी अनुचित दबाव व बिना किसी लोभ लालच के अपनी राजी खुशी से तहरीर कर इस पर अपना हस्ताक्षर समक्ष गवाहान बना दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

निष्पादन तिथि : 19/03/2026

साक्षीगण:

1

साक्षी का नाम : मनीष कुमार मिश्रा
पुत्र : स्व० अनिल कुमार मिश्रा
पेशा : अन्य
निवासी : एस.8/265 सी, सुधाकर रोड, खजुरी, पाण्डेयपुर, वाराणसी।
आधारकार्ड नं० : 657933031079
मोबाइल संख्या : 8808371555
हस्ताक्षर :

2

साक्षी का नाम : अमित सेठ
पुत्र : राजेश सेठ
पेशा : अन्य
निवासी : जे. 6/57, बरवा तले, पोस्ट ऑफिस, जैतपुरा, वाराणसी।
आधारकार्ड नं० : 970661805804
मोबाइल संख्या : 8874336864
हस्ताक्षर

मसविदाकर्ताः-

समशेर अली "एडवोकेट"
कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी।
मो०नं०- 9793197121

टाईपकर्ताः-

रुद्राक्ष कम्प्यूटर
कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी।
मो०नं०- 8765540722

आवेदन सं०: 202600996011242

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 261 के पृष्ठ 277 से 304 तक क्रमांक 57 पर दिनाँक 19/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

सब रजिस्ट्रार वाराणसी चतुर्थ जिला वाराणसी
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अमरेश कुमार ।प्रभारी।
उप निबंधक : सदर चतुर्थ
वाराणसी
19/03/2026

प्रिंट करें